



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23042024-253830
CG-MH-E-23042024-253830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]
No. 273]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2024/वैशाख 3, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2024/VAISAKHA 3, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 19 अप्रैल, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024

अधिसूचना सं. फेमा. 395(2)/ 2024-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियम, 2019 के उपरांत, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फे मा. 395/2019-आरबी संख्या] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2024 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में संशोधन

मूल विनियमावली के विनियम 3.1 में, क्रम संख्या IX के बाद निम्नलिखित जोड़ी जाएँगी, अर्थात:-

X. अनुसूची XI (अनुज्ञेय धारक द्वारा भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों की अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर खरीद या अभिदान योजना)	ए. भुगतान का माध्यम (1) अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों की खरीद/अभिदान के लिए प्रतिफल की राशि का भुगतान - (i) समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 के अनुसार धारित उक्त भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा खाते में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा; या (ii) बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से आवक प्रेषण के रूप में किया जाएगा। स्पष्टीकरण: अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों की खरीद/अभिदान से हुए आगम का विप्रेषण या तो भारत में स्थित किसी बैंक खाते में किया जाएगा या उस भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा खाते में जमा किया जाएगा जो समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 का पालन करते हुए धारित किया गया हो। बी. बिक्रीगत आय का विप्रेषण साधारण शेयरों की बिक्री आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है या उसे अनुज्ञेय धारक के ऐसे बैंक खाते में क्रेडिट कराया जा सकेगा जिनका रखरखाव विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार किया जा रहा हो।
---	--

3. मूल विनियमावली के विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमावली के विनियम 4 के उप-विनियम (8) में, मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“एलईसी (एफआईआई): (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में स्थित स्टॉक एक्सचेंजों पर एफपीआई द्वारा इक्विटी लिखतों की खरीद/ अंतरण की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को फॉर्म एलईसी (एफआईआई) में करेंगे।”

(ii) निवेशग्राही भारतीय कंपनी अनुज्ञेय धारकों द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों की खरीद/अभिदान (जब ऐसी खरीद/अभिदान को नियमावली के तहत विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान के रूप में वर्गीकृत किया गया हो), अनुज्ञेय धारकों के बीच होने वाले अंतरण से भिन्न, की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से फॉर्म एलईसी (एफआईआई) में करेगी।”

लता राधाकृष्णन, प्रभारी महाप्रबंधक
[विज्ञापन-III/4/असा./042/2024-25]

फुट नोट:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में दिनांक 17.10.2019 के जी.एस.आर.सं.795(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत इसका संशोधन निम्नानुसार किया गया-

अधिसूचना सं.फे मा.395(1)/2020-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2020] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड IV में प्रकाशित, राज-पत्र संख्या सीजी-एमएच-ई-19062020-220016 दिनांकित 18 जून, 2020.

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(Central Office)
NOTIFICATION

Mumbai, the 19th April, 2024

Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2024

Notification No. FEMA. 395(2) /2024-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and consequent to the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instrument) Rules, 2019, the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019 [Notification No. FEMA.395/2019-RB dated October 17, 2019] (hereinafter referred to as ‘the Principal Regulations’) namely:-

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2024.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 3.1 of the Principal Regulations

In Regulation 3.1 of the Principal Regulations, after Sl no. IX, the following shall be inserted namely: -

X. Schedule XI (Purchase or Subscription of Equity Shares of Companies Incorporated in India on International Exchanges Scheme by Permissible Holder)	A. Mode of Payment (1) The amount of consideration for purchase / subscription of equity shares of an Indian company listed on an International Exchange shall be paid, - (i) through banking channels to a foreign currency account of the Indian company held in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2015, as amended from time to time; or (ii) as inward remittance from abroad through banking channels. Explanation: The proceeds of purchase / subscription of equity shares of an Indian company listed on an International Exchange shall either be remitted to a bank account in India or deposited in a foreign currency account of the Indian company held in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2015, as amended from time to time. B. Remittance of sale proceeds The sale proceeds (net of taxes) of the equity shares may be remitted outside India or may be credited to the bank account of the permissible holder maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
---	--

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations

In sub-regulation (8) of Regulation 4 of the Principal Regulations, the existing provision shall be substituted by the following, namely:

“LEC(FII): (i) The Authorised Dealer Category I banks shall report to the Reserve Bank in Form LEC (FII) the purchase / transfer of equity instruments by FPIs on the stock exchanges in India.

(ii) The Investee Indian company through an Authorised Dealer Category I bank shall report to the Reserve Bank in Form LEC (FII) the purchase/subscription of equity shares (where such purchase / subscription is classified as Foreign Portfolio Investment under the rules) by permissible holder, other than transfers between permissible holders, on an International Exchange.”

LATHA RADHAKRISHNAN, General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./042/2024-25]

Foot Note :

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India vide G.S.R.No.795(E) dated 17.10.2019 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended, vide:

Notification no. FEMA 395(1)/2020-RB [Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2020] dated June 15, 2020, published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III—Section 4], vide Gazette ID CG-MH-E-19062020-220016 dated 18.06.2020.